SHRI TAPAN KUMAR SEN: All right. But, keep it at number one for tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time over. It is Question Hour now.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश में अवस्थित ऐतिहासिक स्मारक/मंदिर

*346. **श्री सुरेंद्र सिंह नागरः** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में अवस्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों/मंदिरों और अन्य स्थलों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कुल कितना बजटीय आवंटन किया गया है और इस प्रयोजनार्थ प्रयुक्त धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) टिकटों की बिक्री से अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सभी स्मारकों और स्थलों को 'पॉलीथीन-मुक्त क्षेत्र' घोषित किया है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. महेश शर्मा)ः (क) से (ड) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) उत्तर प्रदेश स्थित 743 स्मारकों सहित देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 3686 संरक्षित स्मारक हैं जिनका संरक्षण किया जाता है।

(ख) संरक्षित स्मारकों के संरक्षणार्थ पिछले तीन वर्षों के लिए किए गए कुल बजटीय आबंटन और उसका उपयोग तथा चालू वित्त वर्ष के लिए किए गए आबंटन का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार हैः—

(राशि लाख ₹ में)

क्रम सं.	वर्ष	आबंटन	उपयोग
1.	2014-15	23575.90	23551.95
2.	2015-16	24915.00	23746.25
3.	2016-17	30770.76	29899.64 (30.3.2017 तक)
4.	2017-18	36000.00	—

(ग) संरक्षित स्मारकों में प्रवेश टिकटों की बिक्री से अर्जित राजस्व का ब्यौरा इस प्रकार हैः–

(राशि लाख ₹ में)

क्रम सं.	वर्ष	अर्जित राजस्व
1.	2014-15	9338.34
2.	2015-16	9395.42
3.	2016-17	16613.55 (31.12.2016 तक)

(घ) और (ड) जी, हां। इस संबंध में संरक्षित स्मारकों को पॉलीथीन मुक्त रखने के लिए आवश्यक निदेश जारी किए जा चुके हैं, जिनकी सख्त निगरानी की जाती है। संरक्षित स्मारकों को प्रदर्शनीय अवस्था में और पॉलीथीन मुक्त रखा जाता है।

Historical monuments/temples in Uttar Pradesh

†*346. SHRI SURENDRA SINGH NAGAR: Will the Minister of CULTURE be pleased to state:

(a) the number of historical monuments/temples and other sites conserved by Archaeological Survey of India in the country, particularly in Uttar Pradesh;

(b) the total budgetary allocation made during the last three years and the current year in this regard and the year-wise details of funds utilised for this purpose;

(c) the details of revenue earned from the sale of tickets;

(d) whether Government has declared all monuments and sites to be polythene free areas; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE (DR. MAHESH SHARMA): (a) to (e) A statement is laid on the table of the House

Statement

(a) There are 3686 numbers of protected monuments of Archaeological Survey of India (ASI) in the country which are conserved including 743 in Uttar Pradesh.

(b) The details of total budgetary allocation and utilization, year wise, for last three years and allocation for the current financial year for conservation of protected monuments are as under:–

† Original notice of the question was received in Hindi.

(₹ in lakh)

Sl.No.	Year	Allocation	Utilization
1.	2014-15	23575.90	23551.95
2.	2015-16	24915.00	23746.25
3.	2016-17	30770.76	29899.64 (Up to 30.3.2017)
4.	2017-18	36000.00	—

(c) The details of revenue earned from the sale of entry tickets to protected monuments are as under:–

(₹ in lakh)

Sl.No.	Year	Revenue earned
1.	2014-15	9338.34
2.	2015-16	9395.42
3.	2016-17	16613.55 (31.12.2016 तक)

(d) and (e) Yes, Sir. Necessary directions in this regard have been issued to keep the protected monuments polythene free which are strictly monitored. The protected monuments are maintained in presentable condition and polythene free.

MR. CHAIRMAN: Q.No. 346.

श्री सुरेंद्र सिंह नागरः माननीय सभापति जी, मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट होता है कि इन स्मारकों के संरक्षण के लिए सरकार कितनी गंभीर है। अगर आप इन की संख्या के हिसाब से आवंटित बजट राशि को देखें, तो वह कुछ करोड़ रुपयों में है यानी बहुत कम राशि है। इस से पता लगता है कि सरकार इन स्मारकों के संरक्षण के लिए कितनी गंभीर है? महोदय, जवाब के दूसरे भाग में polythene से इन्हें मुक्त रखने की बात कही गयी है। उस बारे में सरकार का हर बार एक रटा-रटाया जवाब आता है कि हम ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक इन स्थलों पर polythene पर रोक नहीं लगी है। महोदय, उत्तर प्रदेश में आगरा में यमुना की गंदगी के कारण जो कीड़े पैदा होते हैं, वे कीड़े ताजमहल को गंदा कर रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी और सरकार यमुना की सफाई को लेकर अलग से कोई व्यवस्था और बजट आवंटित करने जा रही है, जिस से ताजमहल को बदरंग होने से रोका जा सके?

डा. महेश शर्माः महोदय, माननीय सांसद ने दो विषयों का उल्लेख किया है। महोदय Archaeological Survey of India के 3686 protected monuments हैं, जिन में से 743 उत्तर प्रदेश में हैं और 126 temples हैं। इन के लिए लगभग 298 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करायी थी और जरूरत के अनुसार यह राशि ठीक है। महोदय, और जरूरत होने पर अधिक धनराशि की उपलब्धता भी करायी जाएगी, लेकिन वर्तमान में जितनी जरूरत है और जितनी मांग आती है, उसके हिसाब से राशि ठीक है। माननीय सांसद ने ताजमहल के संरक्षण और प्रदूषण के प्रति चिंता प्रकट की है। यह एक चिंता का विषय है और सभी नदियों के प्रदूषण और खास तौर पर

यमुना नदी के प्रदूषण से ताजमहल पर हो रहे प्रभाव से सरकार और पूरा देश भी चिंतित है। साथ ही वहां गिरते पानी के प्रदूषण के स्तर से भी हम चिंतित हैं। Archaeological Survey of India के सामने सिंचाई विभाग द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था कि वहां एक बैराज बनाकर पानी के स्तर को ऊंचा रखा जाए। Archaeological Survey of India ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह विषय प्रदेश सरकार के पास है कि वहां बैराज बनाकर पानी के स्तर को ऊंचा रखा जाए। महोदय, "नीरी" संस्था के माध्यम से ताजमहल के संरक्षण के लिए एक रिपोर्ट मंगवायी गयी थी, जो आ गयी है और उस के तहत इस संबंध में सभी प्रयास किए जा रहे है। इस संबंध में मुल्तानी मिट्टी से लेप करना और Archaeological Survey of India की हमारी विज्ञान ब्रांच ने, खास तौर ताजमहल की दीवारों पर कीड़ों के deposit को साफ करने का काम पूरा कर लिया है। उसी के साथ मुल्तानी मिट्टी के लेपन का लगभग तीन-चौथाई कार्य पूरा हो चुका है, एक-चौथाई काम बाकी है। माननीय सांसद की चिंता के साथ कि ताजमहल हमारे लिए एक शान का विषय है, मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। महोदय, इस संबंध में सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ताजमहल के संरक्षण का काम जारी रहे।

श्री सुरेंद्र सिंह नागरः माननीय सभापति जी, यमुना में गंदगी के कारण ताजमहल के संगमरमर का रंग बदलता जा रहा है। इस बारे में कई कमेटियों की रिपोर्ट्स आयी हैं कि उस पर मुल्तानी मिट्टी के लेप का कोई असर नहीं हो रहा है। महोदय, माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश के जिस जिले से वे आते हैं, वहां "दलित प्रेरणा केंद्र" है, जिस में प्रदेश की जनता का पैसा लगा हुआ है और गौतम बुद्ध नगर में कई ऐसे स्थान हैं, जिन में निहाल देवी का एक मंदिर है, बाग है। दूसरा, एक नालगढ़ा है, जहां पर भगत सिंह जी आकर रहे थे और वहां से स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया था, बिसरख में रावण आकर रहे थे, वहां पर उनका मंदिर है, लखनऊ में अम्बेडकर स्मारक है, कांशीराम ईको पार्क है। क्या सरकार का इन सभी स्थलों को इसमें शामिल करके, इनके रखरखाव के लिए अलग से बजट देने का कोई प्रस्ताव है और ये जो पर्यटन स्थल हैं, क्या इनको पर्यटन सर्किट में शामिल करने की कोई योजना है?

डा. महेश शर्माः सभापति जी, माननीय सांसद ने ताजमहल के विषय में इश्यू रखा है, हमारे साइंस विभाग, नीरी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बाद इस मड केयर थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। इस थेरेपी के 75 प्रतिशत इस्तेमाल के बाद ताज महल के रंग में परिवर्तन भी आया है, ऐसा हमारी रिपोर्ट कह रही है। इसके अतिरिक्त और भी प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय सांसद ने constituency के विषय में जो सवाल उठाए हैं — हम दोनों आपस में, एक-दूसरे के सामने चुनाव भी लड़ते हैं, उस विषय में, जो सारे विषय हैं ...(**व्यवधान**)... मैं बता देना चाहता हूं कि दलित प्रेरणा स्थल, निहाल देवी का टैम्पल, नालगढ़ा का स्टेडियम, नाइट सफारी, फॉर्मूला वन रेस, इन सभी को मिलाकर एक वृहद् पर्यटक सर्किट की योजना बनाई जा रही है। इसमें कासना में सती मंदिर और बिसरख का मंदिर, ये पर्यटक सर्किट के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं और इसके परिणाम शीघ्र ही आएंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चंद्र मिश्राः इन्होंने लखनऊ के बारे में भी प्रश्न पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपने लखनऊ के बारे में नहीं बताया है। आप माननीय होम मिनिस्टर साहब ...(**व्यवधान**)... आप ध्यान रखिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः ठीक है।

श्री नरेश अग्रवालः गौतम बुद्ध नगर...(**व्यवधान**)...

डा. महेश शर्माः दलित प्रेरणा स्थल भी उस पर्यटक सर्किट का एक हिस्सा है। ...(**व्यवधान**)... लखनऊ के बारे में मेरे पास अभी पूरा ब्योरा नहीं है। ...(**व्यवधान**)... लेकिन मैं आपको गौतमबुद्ध नगर ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः सवाल archeological survey का है। ...(**व्यवधान**)... उसके मुताबिक आप पूछिए, श्री शिव प्रताप शुक्ल। ...(**व्यवधान**)...

श्री शिव प्रताप शुक्लः सभापति जी, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में अनेक मंदिर और स्मारक क्षतिग्रस्त हुए और स्थिति यहां तक भी आई कि कहीं-कहीं उनका नामो-निशान भी मिट गया। अभी तुरंत एक रिपोर्ट आई है, जिसमें 400 करोड़ से ऊपर की वक़्फ़ की जमीनों और उनके रख-रखाव में घोटाले की बात भी सामने आई थी। सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने स्मारकों और मंदिरों का अतिक्रमण हुआ है और ऐसे कितने स्मारक हैं, जो देश के मानचित्र से भी गायब हो गए हैं? क्या सरकार की उन्हें रिस्टोर करने की कोई योजना है, अगर योजना है, तो कृपा करके स्पष्ट करें?

डा. महेश शर्माः सभापति जी, आज के प्रश्न से संबंधित उत्तर में मैं बताना चाहूंगा कि Archeological survey of India के माध्यम से जो 743 monuments थे, उनमें से हमारे संरक्षण में 126 मंदिर हैं। इन संरक्षित स्थलों की स्थिति अच्छी है। माननीय सांसद ने जो विषय उठाया है, उनमें से कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि वह पूरी तरह से dilapidated हो। अगर ऐसा कोई मंदिर है, जिसके बारे में माननीय सांसद कोई ज्ञान उपलब्ध कराएंगे, तो मैं उस विषय में जांच कराकर माननीय सांसद को सूचना उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन वर्तमान में, इस वक्त हमारे पास ऐसी कोई सूचना कि कैसे और कितने मंदिर हैं, जो ठीक हालत में नहीं हैं, उस संबंध में मैं इतना कहूंगा कि Archeological survey of India के माध्यम से हमारे संरक्षण में जो 126 मंदिर हैं, वे सभी ठीक स्थिति में हैं।

श्री संजय सेठः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पुरातत्व विभाग की कुछ ऐसी साइट्स हैं, जो बहुत ऐतिहासिक महत्व की नहीं हैं, जैसे कि अंग्रेज़ सिपाहियों की कब्र इत्यादि। ये साइट्स शहर के बीच में पड़ती हैं, जिनकी वजह से सारा डेवलपमेंट रुक रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पुरातत्व विभाग फिर से यह सर्वे कराकर इस तरह की साइट्स को हटाने का विचार कर रहा है और यह कब तक संभव होगा?

डा. महेश शर्माः सभापति जी, वर्तमान में हमारे संरक्षण में जो 3,686 archeological monuments हैं, यह सूचना सही है कि उनमें से कुछ स्थान ऐसे हैं, जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं, लेकिन 2010 में, जब हमारा अमासरा एक्ट आया, उसके बाद से ये सभी स्थान संरक्षित श्रेणी में हैं और 100 मीटर और 300 मीटर का जो regulated ज़ोन है, ये monuments उस ज़ोन में आते हैं। हमने इस विषय पर एक चिंतन किया है कि कुछ सरकारी कार्य, जैसे कहीं नेशनल हाईवे निकलना है, कहीं कोई ओवरहेड ब्रिज बनना है, उस विषय के अंदर, एक विषय हमारे कानून मंत्रालय के सामने है, जिसमें यह है कि सरकारी कामों के लिए या जनहित के कामों के लिए यदि किसी ऐसे monument के बारे में विचार किया जाए, तो यह विषय कानून मंत्रालय के विचाराधीन है।

SHRI TIRUCHI SIVA: Mr. Chairman, Sir, the Archaeological Survey of India,

having studied deeply into the issue of Ram Setu, has given its Report. Whereas it is learnt that the Government has constituted another Committee to go into the same. In this situation, I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that the Government has rejected the earlier ASI Report.

DR. MAHESH SHARMA: It is not that we have rejected the earlier Archaeological Survey of India Report, but if there is any suggestion which comes from any organisation, Member of Parliament, or, any State, there is a procedure for review of that. Definitely, we review all such things in the right perspective. If any such suggestion the hon. Member has, we will, definitely, get it reviewed by another Committee of Experts.

*347. **[The questioner was absent]**

Safety of senior citizens in Delhi

*347. SHRI RAM KUMAR KASHYAP: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of senior citizens murdered in Delhi during the last three years; and

(b) the measures taken to strengthen policing near residence of senior citizens?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HANSRAJ GANGARAM AHIR): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The details of total number of cases of murder of senior citizens reported to Delhi Police and the number of cases solved during the last three years and the current year (upto 15.3.2017) are as under:–

Year	Reported	Worked out	Percentage work out	Pending Investigation	No. of victims
2014	22	17	77.27%	5	22
2015	11	09	81.81%	2	12
2016	19	16	84.21%	3	20
2017 (upto 15.3.17)	05	05	100.00%	0	05
TOTAL	57	47	82.46%	10	59

(b) Delhi Police has taken pro-active measures for safety and security of senior citizens, which *inter alia* include creation of Senior Citizens Security Cells in Police